

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा परीक्षा-1)
ओडिशा :: भुवनेश्वर

परिपत्र

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत नियम -43-एए उप-नियम (1) और नियम 43-बी उप-नियम (1) का संशोधन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 15 मई, 2023 की राजपत्र अधिसूचना कृपया जानकारी के लिए देखा जा सकता है।

Please find enclosed Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training Gazette Notification dated 15th May, 2023 regarding amendment of Rule-43-AA in sub-rule (1) and Rule 43-B in sub-rule (1) under Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 for information.

हस्ताक्षरित/-

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन (लेखा परीक्षा-1)

Memo No. Admn(Audit-I)/SB/Misc/2023-24/1232

Date: 31.08.2023

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Secretary to the Principal Accountant General (Audit1), Odisha, Bhubaneswar.
2. PA to Sr. DAG (Admn/AMG-V)
3. PA to Sr. DAG (AMG-III /AMG-IV)
4. PA to DAG (AMG-II)
5. PA to DAG (AMG-I)
6. The Welfare Officer(Audit)
7. The Branch Officers in-charge of AMG-I/ AMG-II /AMG-III / AMG-IV /AMG-V
8. The Branch Officers in-charge of Report (Main/ECPA)/ PAC / OE / OM-I&II/ Estate / T&E/ ITA/ Conf. Cell/ Hindi Cell
9. The AAO/DA&R Cell with a request to upload it in office intranet.
10. The AAO/ Legal Cell
11. Group A seat/ Admn
12. Notice Board
13. Guard file/Spare

समीर पण्डा
31/08/2023

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रशासन (लेखा परीक्षा-1)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052023-245936
CG-DL-E-18052023-245936

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2023/वैशाख 28, 1945
No. 302] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2023/VAISAKHA 28, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 मई, 2023

सा.का.नि. 374(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 43कक के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"43कक. कोई पुरुष सरकारी कर्मचारी (अप्रेटिस सहित), जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, दत्तक ग्रहण स्वीकार करने से पूर्व पोषक देखरेख करने या एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से दत्तक लेने पर, यथास्थिति, दत्तक स्वीकार करने से पूर्व पोषक देखरेख करने या वैध रूप से दत्तक लेने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर 15 दिन की अवधि के लिए पैतृत्व छुट्टी प्रदान की जाएगी :

3194 GI/2023

J. E. (Rules)
6413034
8.06.2023

(1)

